(1) नीरस एवं अवास्तविक अधिकार (धारा-9)

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 में दिया गया दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन एक नीरस एवं अवास्तविक विधि है। क्योंकि न्यायालय पति एवं पत्नी को साथ-साथ रहने के लिए विवश नहीं कर सकता। पति-पत्नी के मधुर सम्बन्धों में जब खटास आने लगता है तब दिलों में भी फर्क पड़ने लगता है, ऐसी स्थिति में दोनों अपने आचरणों से भी एक दूसरे से दूर होना शुरू कर देते हैं और मर्ज यहाँ तक पहुँच जाता है कि पति-पत्नी एक दूसरे के साहचर्य का त्याग कर देते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि पति-पत्नी में जो रिश्ता रहना चाहिए वह नहीं रह पाता। व्यथित पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने दायित्व निभाने हेतु अर्थात अपने दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की याचिका प्रस्तुत करके न्यायालय से डिक्री तो प्राप्त कर सकता है परन्तु वास्तव में इस डिक्री द्वारा पति-पत्नी को एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवश नहीं कर सकता है। क्योंकि इस मर्ज की दवा पक्षकारों के दिलों का मिलना है और न्यायालय डिक्री द्वारा हृदय परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। किसी भी सूरत में पक्षकारों के दिलों को मिलाना इस धारा में न्यायालय की शक्ति में नहीं है इसलिए जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का प्रावधान इस धारा में दिया गया है वह नीरस एवं अवास्तविक है। अतः कभी-कभी इस बात पर जोर दिया जाता है कि ऐसे नीरस एवं अवास्तविक प्रावधान को हिन्दू विवाह अधिनियम से हटाया जाना उचित है। इन्द्रजीत कौर बनाम राजेन्द्र सिंह के मामले में न्यायमूर्ति धावन ने कहा था कि इस अधिकार को नीरस एवं अवास्तविक होने के कारण अधिनियम में रखने का कोई औचित्य नहीं है। हिन्दू विवाह अधिनियम पारित किये जाने से पहले कुछ सदस्यों ने दाम्पत्य अधिकारों के पुनः स्थापन के बारे में उपबन्ध को शामिल करने का विरोध किया था।

Scanned with CamScanner

P-2 नीरूस एवं आवश्यकिक अधिकार

उनमें से एक संवाद साहित्य में इस बात की एक प्रकार की उपमा देकर Prohibition को व्यक्त करते हुए 1984 में Delhi को आगाह, अनुभाग 9, पृष्ठ 66 को कहा कि "दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन दुःखद विवाह के बन्धन में 1906 ... ने, गुलिस्तान पर प्रहार करता है।" यह सही है कि न्यायालय अपनी सुविकसित सामाजिक चेतना द्वारा किसी अनैतिकता घोड़े को पानी तक ले जा सकता है किन्तु वह कभी भी घोड़े को पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकता। अतः इसी प्रावधान को हिन्दू विवाह अधिनियम से निकाल देने की चाह सही है।

टी. सरिता बनाम टी. वेंकट सुब्बैया के वाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि धारा 9 को संविधि से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह पत्नी की स्वतंत्रता का हनन करती है। चूंकि यह अधिकार अधिकतर पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध प्रयोग में लाया जाता है तथा किसी की पत्नी को उसके इच्छा के विरुद्ध संभोग करने अथवा संतान उत्पन्न करने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, अतः न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके विपरीत हरविन्द्र कौर बनाम हरमिन्द्र सिंह चौधरी के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस अधिकार को विस्तृत आयाम देते हुए इसे केवल शयनागार की चारदिवारी तक सीमित न मानकर यह मत व्यक्त किया कि धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का अधिकार विवाह को टूटने से बचाने का महत्वपूर्ण साधन है। विवाह के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकारों को संभोग की संकीर्ण दृष्टि से देखना अनुचित है क्योंकि यह केवल दैहिक अधिकार ही नहीं अपितु हिन्दू मान्यता में यह संस्कार भी है। सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मत की पुष्टि करते हुए अभिनिर्धारित किया कि धारा 9 किसी भी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है तथा यह विवाह को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण साधन है।

The end

Scanned with CamScanner